IWMP
परिपत्र क्र.3

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
(राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन)

क्र. 5793/22/वि–9/आरजीएम/आईडब्ल्यूएमपी/2010 भोपाल, दिनांक 03/05/10

प्रति,

कलेक्टर,
जिला – समस्त

विषयः एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme - IWMP) के अंतर्गत माइक्रोवाटरशेड स्तर पर ग्रामीणों की सहभागिता और सामुदायिक संगठन आधारित संस्थागत व्यवस्था के संबंध में।

1. <u>पृष्ठभूमि</u> :–

1.1 भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग द्वारा जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के लिए एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (Integrated Watershed Management Programme - IWMP) के नाम से नवीन योजना आरंभ की गई है। भारत सरकार द्वारा जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए वर्ष 2008 में जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की कार्यनीति **''ग्रामीणों की सहभागिता''** पर आधारित है।

1.2 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं हेतु उपरोक्तानुसार ''जनसहभागिता'' का दायरा केवल कुछ सामुदायिक जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण में ग्रामीणों के श्रमदान/योगदान तक सीमित नहीं है, अपितु परियोजना के प्रत्येक चरण में ग्रामीणों की सक्रिय भूमिका और निर्धारित दायित्वों के निर्वहन को भी समाहित करता है। इस अनुक्रम में स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के विविध कार्यकलापों में ग्रामीणों की सहभागिता के लिए ग्राम स्तरीय संस्थागत व्यवस्था के तहत ग्रामीणों को संगठित कर इनके सामुदायिक संगठनों (Community Based Organisations-CBOs) का गठन, सुदृढ़ीकरण, उन्हें दायित्वों का प्रत्यायोजन और इन दायित्वों के निर्वहन के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रदाय एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की कार्य प्रणाली

के अतिमहत्वपूर्ण घटक हैं। सामुदायिक संगठन केन्द्रित यह कार्य प्रणाली जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के निम्नानुसार विभिन्न अवयवों को प्रभावशील बनायेगीं :–

1.2.1 स्वीकृत परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण, प्रबंधन तथा रख रखाव की प्रक्रिया का ग्रामीणों के स्तर पर विकेन्द्रीकरण हो सकेगा, जिसके फलस्वरूप परियोजना के सभी चरणों में ग्रामीण समुदाय की भागीदारी वास्तविक रूप में सुनिश्चित हो सकेगी। संगठित ग्रामीण समुदाय परियोजना के संदर्भ में विभिन्न विवादों और समस्याओं का निराकरण बेहतर ढंग से कर सकेगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन व प्रबंधन के प्रति समाज में वर्तमान में जो अनभिज्ञता (Ignorance) है, वह भी दूर होगी।

1.2.2 माइक्रोवाटरशेड/ग्राम की स्थानीय विशिष्टताओं को ध्यान रख और ग्रामीणों की मंशा के अनुरूप उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए परियोजना के विभिन्न कार्य कलापों/गतिविधियों का चयन, आयोजना और कार्यान्वयन पारदर्शी तरीके से हो सकेगा, जो अंततः समाज में परियोजना और इसके कार्यों की ग्राह्यता तथा अपनत्व को बढ़ायेगा।

1.2.3 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं की परियोजना राशि के अधिकांश भाग का निवेश प्राकृतिक संसाधनों नामतः मिट्टी, पानी और वनस्पति के संरक्षण व संवर्धन से जुड़े जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों पर होना है, जिनका स्वरूप हितग्राहीमूलक न होकर एक क्षेत्र का विकास होता है। अतः जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों से लाभान्वित/विकसित होने वाले क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित ग्रामीणों को यदि गतिविधिवार/कार्यवार संगठित कर परियोजना की आयोजना और कार्यान्वयन में सहभागी बनाया जाये तो कार्य निष्पादन के फलस्वरूप न केवल सृजित संरचनाओं/परिसम्पत्तियों से जनित संसाधनों व लाभों का समानता आधारित समुचित वितरण सुनिश्चित होगा, अपितु इन संरचनाओं/परिसम्पत्तियों के रख रखाव तथा प्रबंधन का उत्तरदायित्व भी निर्धारित हो सकेगा। सृजित संरचनाओं/परिसम्पत्तियों के उपयोग अथवा इनसे जनित संसाधनों व लाभों के वितरण में समानता की प्रक्रियाओं (Equity Processes) को बढ़ावा दिया जा सकेगा। यह प्रक्रिया अंततः परियोजना के प्रभावों और लाभों को संवहनीय (Sustainable) बनायेगी।

1.2.4 गरीब ग्रामीणों के स्वामित्व वाले संसाधनों में भी जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों के लिए निवेश सुनिश्चित होगा, जिससे इन ग्रामीणों के लिए भी उत्पादकता व आय में वृद्धि के अवसर सृजित किये जा सकेंगे।

1.2.5 योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में कृषि उत्पादन प्रणालियों के संवर्धन तथा आजीविका उन्नयन के कार्य तभी असरकारक एवं परिणाममूलक होंगे, जब अधिक से अधिक ग्रामीणों को इनसे संगठित कर संबंद्ध किया जाये।

1.2.6 सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधन (Common Property Resources) के विकास और प्रबंधन के द्वारा संसाधनहीन ग्रामीणों के लिए भोगाधिकार (Usufructs Rights) सुनिश्चित किये जा सकेंगे।

1.2.7 गरीबों और महिलाओं की भागीदारी सशक्त हो सकेगी, जिससे वे परियोजना निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होंगे और परियोजना के कार्यकलापों से उन्हें मिलने वाले लाभों में बढ़ोतरी होगी।

1.2.8 परियोजना की आयोजना तथा कार्यान्वयन में ग्रामीणों के पास उपलब्ध परम्परागत ज्ञान व कौशल का उपयोग हो सकेगा।

1.2.9 परियोजना के विभिन्न कार्यकलापों/गतिविधियों तथा परियोजना लेखों का समुदाय आधारित पर्यवेक्षण, निगरानी, अनुश्रवण तथा अंकेक्षण हो सकेगा।

1.3 उक्त के अनुक्रम में ऐसे जिले जिनमें IWMP योजना के अंतर्गत नवीन परियोजनायें स्वीकृत हुई हैं/होंगी, उनमें **माइक्रोवाटरशेड स्तर पर संस्थागत व्यवस्था** के स्वरूप और दायित्वों के संबंध में यह आदेश जारी किया जा रहा है।

2. <u>उपयोगकर्ता समूह</u> :–

2.1 पी.आई.ए. तथा डब्ल्यू.डी.टी. द्वारा जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के कार्य क्षेत्र में शामिल प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड/ग्राम में चयनित प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्य तथा कृषि उत्पादन प्रणालियों के संवर्धन के कार्य से प्रत्यक्ष लाभ लेने वाले भूमि स्वामियों के उपयोगकर्ता समूह कार्यवार गठित किये जायेंगे। उपयोगकर्ता समूहों के गठन के मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा प्रक्रिया का उल्लेख **अनुलग्नक – 1** में किया गया है।

इसे यथावत् अथवा परिष्कृत कर अपनाया जा सकता है। उपयोगकर्ता समूह के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार होंगे :–

2.1.1 समूह प्रचालन के नियम निर्धारित करना, समूह की बैठकें आयोजित करना, वाटरशेड समिति के सहयोग से बैठक संबंधी अभिलेख संधारित करना। समूह को क्रियाशील रखते हुए इसका संचालन करना। विवादों का निपटारा करना।

2.1.2 वाटरशेड समिति के माध्यम से और पी.आई.ए. व डब्ल्यू.डी.टी. के मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण में चयनित जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्य का गुणवत्तापूर्ण व तकनीकी मानदण्डों के अनुरूप परिणाममूलक तथा पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना।

2.1.3 सृजित संरचनाओं/परिसम्पत्तियों का रख रखाव, प्रचालन तथा अनुरक्षण करना। तत्संबंध में पी.आई.ए. व डब्ल्यू.डी.टी. के माध्यम से प्रशिक्षण और क्षमता विकास करना।

2.1.4 जनित संसाधनों, उत्पादों व लाभों का विपणन अथवा समानता की प्रक्रियाओं को अपनाकर समूह के सदस्यों के बीच समुचित वितरण। तत्संबंध में वाटरशेड समिति के सहयोग से आवश्यक अभिलेख संधारित करना।

2.1.5 कृषि उत्पादन प्रणालियों के संवर्धन के कार्यों को अपनाना।

2.1.6 निर्धारित मानदण्डों के अनुसार वाटरशेड विकास निधि हेतु उपयोगकर्ता प्रभार (User Charges) तथा निजी भूमि पर निष्पादित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन व कृषि कार्यकलापों के लिए योगदान/अंशदान (Contribution) नगद रूप में अथवा स्वैच्छिक श्रम के रूप में देना।

2.1.7 वाटरशेड समिति के गठन हेतु डब्ल्यू.डी.टी. सदस्य की उपस्थिति में अपना प्रतिनिधि चयनित करना।

2.2 प्रत्येक उपयोगकर्ता समूह के साथ वाटरशेड समिति द्वारा समझौता अनुबंध किया जायेगा। यह समझौता अनुबंध उपयोगकर्ता समूह हेतु चयनित कार्यकलाप के कार्यान्वयन शुरू होने के पूर्व अनिवार्यतः तैयार कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जायेगा और इसे कार्यकलाप के लिए पूर्व शर्त के रूप में माना जाना

जायेगा। प्रारूप समझौता अनुबंध **अनुलग्नक – 2** पर है, जिसे यथावत् अथवा परिष्कृत कर उपयोग में लाया जा सकता है।

3. <u>स्वसहायता समूह</u> :–

3.1 पी.आई.ए. तथा डब्ल्यू.डी.टी. द्वारा जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के कार्य क्षेत्र में शामिल प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड/ग्राम के गरीब ग्रामीणों, भूमिहीन/सम्पत्तिहीन ग्रामीणों, खेतीहर मजदूरों, लघु व सीमांत कृषको तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के परिवारों में से इच्छुक व्यक्तियों के स्वसहायता समूह गठित किये जायेंगे। यह स्वसहायता समूह आजीविका उन्नयन/विकास हेतु विविध आयमूलक कार्यकलापों/लघु उद्यमों का संपूर्ण नियोजन करेंगे। स्वसहायता समूहों के गठन के मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा प्रक्रिया का उल्लेख **अनुलग्नक – 3** में किया गया है। इसे यथावत् अथवा परिष्कृत कर अपनाया जा सकता है। स्वसहायता समूह के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार होंगे :–

3.1.1 समूह प्रचालन के नियम निर्धारित करना, समूह की बैठकें आयोजित करना, वाटरशेड समिति के सहयोग से आवश्यक दस्तावेज और अभिलेख संधारित करना। समूह को क्रियाशील रखते हुए इसका संचालन करना। विवादों का निपटारा करना।

3.1.2 समूह के सदस्यों के बीच नियमित बचत तथा आंतरिक ऋण प्रदाय एव अदायगी की प्रक्रिया विकसित कर इसका प्रचालन करना।

3.1.3 यथोचित कार्यकलाप का चुनाव तथा पी.आई.ए., डब्ल्यू.डी.टी. और वाटरशेड समिति के सहयोग, मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में इस कार्यकलाप के सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए परिणाममूलक तथा पारदर्शी कार्यान्वयन और प्रबंधन करना। तत्संबंध में पी.आई.ए. व डब्ल्यू.डी.टी. के माध्यम से प्रशिक्षण और क्षमता विकास करना।

3.1.4 सृजित संरचनाओं/परिसम्पत्तियों का रख रखाव, प्रचालन तथा अनुरक्षण करना। तत्संबंध में पी.आई.ए. व डब्ल्यू.डी.टी. के माध्यम से प्रशिक्षण और क्षमता

विकास करना। जनित संसाधनों, उत्पादों व लाभों का विपणन अथवा समानता की प्रक्रियाओं को अपनाकर समूह के सदस्यों के बीच समुचित वितरण

3.1.5 अर्जित आय से परिक्रामी निधि (Revolving Fund) की वापसी एवं अदायगी सुनिश्चित करना।

3.1.6 वाटरशेड समिति के गठन हेतु डब्ल्यू.डी.टी. सदस्य की उपस्थिति में अपना प्रतिनिधि चयनित करना।

3.2 ऐसा प्रत्येक स्वसहायता समूह जो 6 माह तक नियमित रूप से निर्धारित बचत सफलतापूर्वक करेंगे, उनके लिए चयनित आयमूलक कार्यकलापों/लघु उद्यमों का कार्यान्वयन किया जायेगा। आयमूलक कार्यकलापों/लघु उद्यम प्रारंभ करने वाले स्वसहायता समूह के साथ वाटरशेड समिति द्वारा समझौता अनुबंध किया जायेगा। यह समझौता अनुबंध स्वसहायता समूह हेतु कार्यकलाप के कार्यान्वयन शुरू होने के पूर्व अनिवार्यतः तैयार कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ संलग्न कर दिया जायेगा और इसे कार्यकलाप के लिए पूर्व शर्त के रूप में माना जाना जायेगा। प्रारूप समझौता अनुबंध **अनुलग्नक – 4** पर है, जिसे यथावत् अथवा परिष्कृत कर उपयोग में लाया जा सकता है।

4. <u>वाटरशेड समिति</u> :–

4.1 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियाजना के कार्य क्षेत्र में शामिल माइक्रोवाटरशेड में पी.आई.ए. व डल्यू.डी.टी. की तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण से परियोजना का कार्यान्वयन वाटरशेड समिति करेगी, जिसका गठन ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा। वाटरशेड समिति के गठन की कार्यवाही डब्ल्यू.डीटी. की उपस्थिति में की जायेगी। वाटरशेड समिति का गठन प्रत्येक उपयोगकर्ता समूह व स्वसहायता समूह के एक–एक प्रतिनिधि और डब्ल्यू.डी.टी. के एक सदस्य को शामिल कर किया जायेगा। वाटरशेड समिति में आधे सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय, महिलाओं, भूमिहीन व्यक्तियों तथा लघु व सीमांत कृषकों के प्रतिनिधि होंगे। ग्राम सभा द्वारा किसी सुयोग्य व्यक्ति को वाटरशेड समिति के अध्यक्ष के रूप में पी.आई.ए. व डब्ल्यू.डी.टी. के पर्यवेक्षण में निर्वाचित/नियुक्त किया जायेगा। जहां एक माइक्रोवाटरशेड में एक से अधिक ग्राम पंचायत शामिल हों, वहां प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अलग अलग वाटशेड समितियां गठित की जायेंगी। वाटरशेड समिति के गठन के मार्गदर्शी सिद्धांतों

और प्रक्रिया **अनुलग्नक – 5** में दी गई है, जिसे यथावत् अथवा परिष्कृत कर अपनाया जा सकता है।

4.2 स्वयं त्याग पत्र देने पर/पागल हो जाने पर/दिवालिया हो जाने पर/चारित्रिक दोष के प्रकरण में दोषी पाये जाने पर/आपराधिक प्रकरण में दोषी पाये जाने पर/दायित्वों के प्रति उदासीनता बरतने पर/किसी प्रकार की अनियमितता में संलिप्त पाये जाने पर/अन्य अवांछनीय कृत्यों में संलिप्त पाये जाने पर वाटरशेड समिति के सदस्य/अध्यक्ष को वाटरशेड डेवलपमेंट टीम की सहमति उपरांत ग्राम सभा द्वारा हटाया जा सकेगा। हटाये गये सदस्य के स्थान पर संबंधित उपयोगकर्ता समूह/स्वसहायता समूह/डब्ल्यू.डी.टी. के अन्य प्रतिनिधि को ग्राम सभा द्वारा वाटरशेड समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा। इसी तरह हटाये गये अध्यक्ष के स्थान पर ग्राम सभा द्वारा नया अध्यक्ष निर्वाचित/नियुक्त किया जायेगा। हटाये गये सदस्य के स्थान पर नये सदस्य को शामिल किये जाने के अभाव में वाटरशेड समिति कार्य करती रहेगी तथा ऐसी स्थिति में उसके द्वारा निष्पादित कार्य वैद्य होंगे।

4.3 वाटरशेड समिति को गठन उपरांत सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया जायेगा।

4.4 वाटरशेड समिति उसे सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता संविदा पर रख सकेगी, जो संबंधित वाटरशेड समिति का सचिव कहलायेगा। वाटरशेड समिति का सचिव समिति के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में और पी.आई.ए. तथा डब्ल्यू.डी.टी. के सहयोग, समन्वय एवं मार्गदर्शन से कार्य करेगा।

4.5 वाटरशेड समिति के सचिव का चयन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर समिति के सदस्यों की सहमति से ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा, तदोपरांत नियुक्ति वाटरशेड समिति के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। वाटशेड समिति के सचिव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduate) परीक्षा उत्तीर्ण होगी। वाटरशेड विकास कार्यों/ग्रामीण विकास कार्यों की आयोजना व कार्यान्वयन/कार्यालयीन प्रबंधन व लेखा संधारण/कम्प्यूटर अनुप्रयोग में 1 से 2 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। वाटरशेड समिति का

सचिव सामान्यतः संबंधित अथवा समीपस्थ ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में संबंधित विकासखण्ड के किसी ग्राम का निवासी होना चाहिए।

4.6 वाटरशेड समिति का सचिव उसका स्वतंत्र मानदेयभोगी कार्यकर्ता होगा, जो पंचायत सचिव से अलग एवं पृथक होगा। वाटरशेड समिति के सचिव को रू. 3500 प्रतिमाह का मानदेय दिया जायेगा, जो परियोजना के प्रशासनिक मद में विकलनीय होगा। परियोजना के प्रशासनिक मद से वाटरशेड समिति के सचिव का मानदेय केवल परियोजना अवधि के दौरान अथवा परियोजना समाप्ति तक जो भी पहले हो, दिया जा सकेगा। परियोजना अवधि समाप्त होने अथवा परियोजना समाप्ति के पश्चात वाटरशेड समिति के सचिव की निरन्तरता का निर्णय वाटरशेड समिति द्वारा लिया जा सकेगा, परन्तु ऐसी स्थिति में उसके मानदेय के लिए शासन द्वारा कोई राशि प्रदाय नहीं की जायेगी।

4.7 वाटरशेड समिति के सचिव किसी भी स्थिति में भारत सरकार अथवा मध्यप्रदेश शासन अथवा राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन अथवा पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारी नहीं होंगे, न ही भविष्य में वे शासकीय सेवा में स्थाईकरण व नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे और न ही किसी भी स्तर पर कोई दावा पेश कर सकेंगे।

4.8 स्वयं त्याग पत्र देने पर/पागल हो जाने पर/दिवालिया हो जाने पर/चारित्रिक दोष के प्रकरण में दोषी पाये जाने पर/आपराधिक प्रकरण में दोषी पाये जाने पर/दायित्वों के प्रति उदासीनता बरतने पर/किसी प्रकार की अनियमितता में संलिप्त पाये जाने पर/अन्य अवांछनीय कृत्यों में संलिप्त पाये जाने पर वाटरशेड समिति के सचिव को हटाये जाने का निर्णय ग्राम सभा द्वारा लिया जा सकेगा, तदोपरांत वाटरशेड समिति के अध्यक्ष द्वारा उसकी नियुक्ति निरस्ती के आदेश जारी किये जायेंगे। वाटरशेड समिति के सचिव का चयन निर्धारित योग्यता एवं अनुभव के आधार पर किया जायेगा।

4.9 वाटरशेड समिति के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार होंगे :–

4.9.1 ग्रामीणों को परियोजना के उद्देश्यों, कार्यों और विविध पहलुओं से सतत् अवगत कराना और उनसे निरन्तर संवाद कर संपर्क में रहना।

4.9.2 पी.आई.ए. और डब्ल्यू.डी.टी. को उन्हें सौंपे गये दायित्वों के निष्पादन में सक्रिय सहयोग एवं समन्वय प्रदान करना।

4.9.3 यह सुनिश्चित करना कि परियोजना के कार्यकलापों के चयन, उपयोगकर्ता समूहों व स्वसहायता समूहों के गठन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल कार्यकलापों में गरीब ग्रामीणों, महिलाओं, भूमिहीनों तथा लघु व सीमांत कृषकों के हितों को पर्याप्त रूप से ध्यान दिया गया है/सम्मिलित किया गया है।

4.9.4 पी.आई.ए. और डब्ल्यू.डी.टी. के सहयोग से वार्षिक कार्य योजना तैयार कराना।

4.9.5 पी.आई.ए. और डब्ल्यू.डी.टी. के समन्वय, तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन से तथा उसके पर्यवेक्षण में परियोजना का कार्यान्वयन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार गुणवत्तापूर्ण तथा तकनीकी रूप से सुदृढ़ ढंग से करना। तत्संबंध में एवं परियोजना के अन्य कार्यकलापों के निष्पादन हेतु वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग करना। कार्यान्वित हो रहे कार्यकलापों की निगरानी और अनुश्रवण करना।

4.9.6 उपयोगकर्ता समूहों को उनके दायित्व निष्पादन के लिए पी.आई.ए. और डब्ल्यू. डी.टी. का सहयोग, समन्वय और मार्गदर्शन प्रदान करवाना।

4.9.7 पी.आई.ए. और डब्ल्यू.डी.टी. के सहयोग से स्वसहायता समूहों के कार्यकलाप का चयन, इस हेतु बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड संयोजन और कार्यकलाप के संचालन/प्रचालन की व्यवस्था करना। स्वसहायता समूहों को उनके दायित्व निष्पादन के लिए पी.आई.ए. और डब्ल्यू.डी.टी. का सहयोग, समन्वय और मार्गदर्शन प्रदान करवाना

4.9.8 वाटरशेड विकास निधि हेतु उपयोगकर्ता प्रभार तथा योगदान राशि एकत्रित करना। यदि योगदान स्वैच्छिक श्रम के रूप में प्राप्त होता है तो स्वैच्छिक श्रम के मौद्रिक मूल्य के समतुल्य राशि को परियोजना निधि से वाटरशेड विकास निधि के खाते में अंतरित करना। मध्यवर्ती भोगाधिकारों के निपटान की राशियां तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधनों पर परियोजना के तहत सृजित परिसम्पत्तियों से अर्जित आय को भी वाटरशेड विकास निधि में जमा करना। वाटरशेड विकास निधि में आय और व्यय का पूर्णतः पृथक लेखा रखना।

वाटरशेड विकास निधि के संचालन हेतु नियम तैयार करना तथा ग्राम सभा के अनुमोदन से नियमानुसार उपयोग करना।

4.9.9 वाटरशेड समिति से संबंधित समस्त परियोजना दस्तावेजों, लेखों, अभिलेखों, रिकार्ड व रजिस्टर का नियमित संधारण तथा रख–रखाव, करना। जिला स्तरीय वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर तथा पी.आई.ए./डब्ल्यू.डी.टी. द्वारा मांगे जाने पर परियोजना संबंधी सभी दस्तावेजों, लेखों, अभिलेखों, रिकार्ड व रजिस्टर को निगरानी के लिए उपलब्ध कराना।

4.9.10 परियोजना के कार्यकलापों की भौतिक और वित्तीय प्रगति और परिणामों का अंकेक्षण करना और संधारित करना। सृजित संरचनाओं/परिसम्पत्तियों का रिकार्ड संधारित करना। संबंधित जानकारी राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराना।

4.9.11 सृजित संरचनाओं/परिसम्पत्तियों के उपयोग, रख रखाव व इनसे जनित संसाधनों, उत्पादों व लाभों के विपणन, उपयोग तथा वितरण की उपयुक्त प्रणालियां और व्यवस्थाएं पी.आई.ए. और डब्ल्यू.डी.टी. तथा ग्राम पंचायत के सहयोग से स्थापित करना।

4.9.12 उपयोगकर्ता समूहों और स्वसहायता समूहों के साथ समझौता अनुबंध करना।

4.9.13 ग्रामीण सामुदायिक संगठनों अथवा परियोजना से संबंधित विभिन्न संगठकों के विवादों का समाधान करना, ताकि परियोजना के कार्य प्रभावित न हो।

4.9.14 सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधन प्रबंधन (Common Property Resource Management) तथा इसमें ग्रामीणों की समान भागीदारी करना।

4.9.15 परियोजना के कार्यकलापों के लिए आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त करना। परियोजना के कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु निर्दिष्ट मदों में प्राप्त होने वाली राशि का परियोजना खाते में समुचित संधारण और अनुमोदित/स्वीकृत कार्यकलापों के निष्पादन/कार्यान्वयन के लिए निर्धारित मानदण्ड तथा वित्तीय नियमों के अनुसार पी.आई.ए. व डब्ल्यू.डी.टी. के पर्यवेक्षण में इस राशि का समुचित उपयोग, भुगतान, स्वसहायता समूहों को परिक्रामी निधि (Revolving Fund) उपलब्ध कराना, दी गई परिक्रामी निधि की वापसी एवं अदायगी इत्यादि सुनिश्चित करना तथा संबंधित लेखों, रिकार्ड व रजिस्टर का नियमित संधारण,

परीक्षण व निगरानी कर समुचित वित्तीय प्रबंधन करना। नियमित लेखा परीक्षण और लेखा अंकेक्षण कराना।

4.9.16 कृषकों को कृषि उत्पादन प्रणालियों के संवर्धन कार्य लेने के लिए प्रेरित करना। ग्राम पंचायत तथा पी.आई.ए. व डब्ल्यू.डी.टी. के सहयोग से ग्रामीण विकास विभाग तथा अन्य शासकीय विभागों की योजनाओं से अभिसरण (Convergence) की कार्यवाही करना।

4.9.17 वाटरशेड समिति का पंजीयन कराना।

4.9.18 परियोजना के नियोजन व प्रबंधन हेतु परियोजना के कार्य क्षेत्र में पूर्णकालिक कार्यालय का प्रचालन करना।

4.9.19 भारत सरकार; ग्रामीण विकास मंत्रालय; भूमि संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन; पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मिशन मुख्यालय तथा जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेंटर द्वारा परियोजना की आयोजना, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु समय समय पर सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करना और दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

4.9.20 समिति की नियमित बैठकें आयोजित करना, बैठक के कार्यवाही विवरण को लिपिबद्ध करना, संधारित करना तथा लिये गये निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही करना तथा तत्संबंध में अभिलेख व दस्तावेज संधारित करना। परियोजना संबंधी अन्य सामुदायिक संगठनों की बैठकों की कार्यवाही व उनमें लिये गये निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही के अभिलेख संधारित करना।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(अजय तिर्की)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. 5794 / 22 / वि–9 / आरजीएम / आईडब्ल्यूएमपी / 2010 भोपाल, दिनांक 03 / 05 / 10
प्रतिलिपि :–

1. संभाग आयुक्त, संभाग – समस्त की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, **जिला पंचायत– समस्त** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अजय तिर्की)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

अनुलग्नक – 1

उपयोगकर्ता समूहों के गठन के मार्गदर्शी सिद्धांत व प्रक्रिया

गठन के सिद्धांत :–

1. भू–स्वामी ग्रामीण, जिसके लिए जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्य और कृषि उत्पादन प्रणालियों के संवर्धन का चयन किया गया है, उसके लिए उपयोगकर्ता समूह का गठन किया जाना चाहिए। अतः ऐसे प्रत्येक कार्य से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों की स्पष्ट पहचान की जाना चाहिए।
2. समूह के सदस्यों में आपसी सामाजस्य अभिरूचि तथा चयनित कार्य की समानता होना चाहिए।
3. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों, लघु एवं सीमांत कृषकों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों के अधिक से अधिक परिवारों के लिए जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्य का चयन प्राथमिकता पर किया जाकर गठित होने वाले समूहों में इन्हें अनिवार्यतः शामिल किया जाना चाहिए।
4. गठित होने वाले समूह के सदस्यों को उनके दायित्वों और चयनित कार्यकलाप के संबंध में समूह गठन के पूर्व अवगत कराया जाना चाहिए, जिससे वे वास्तविक संभावनाओं और विश्वास के साथ परियोजना में सहभागी बन सकें।
5. समूह के सदस्यों को वाटरशेड विकास निधि के लिए उपयोगकर्ता प्रभार तथा योगदान/अंशदान हेतु राशि प्रदान करने/श्रमदान करने के लिए तैयार होना चाहिए। तत्संबंध में समूह के सदस्यों को गठन के पूर्व स्पष्ट समझाईश दी जाना चाहिए।
6. यद्यपि समूह के सदस्यों की संख्या उनके लिए चयनित कार्यकलाप से प्राप्त होने वाले परिणाम/लाभ की मात्रा/विस्तार पर निर्भर करती है, परन्तु एक समूह में न्यूनतम 4 – 5 तथा अधिकतम 10 – 15 सदस्य होना चाहिए। लाभान्वित होने वाले भू–स्वामियों की संख्या के अधिक होने पर 1 प्रकार की गतिविधि (उदाहरणस्वरूप मेढ़ बंधान) के लिए 1 से अधिक समूह गठित किये जा सकते हैं।

गठन की प्रक्रिया :–

1. परियोजना के कार्य क्षेत्र में प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड/ग्राम में उपयोगकर्ता समूहों का गठन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने के लिए नेट प्लानिंग की प्रक्रिया के दौरान ही करना होगा।
2. नेट प्लानिंग के दौरान मिट्टी, पानी, कृषि और वनस्पति के संदर्भ में एक जैसी समस्या से ग्रसित/पीड़ित व्यक्तियों के साथ बैठक का आयोजन करें। ये बैठकें आवश्यकता अनुसार एक से अधिक हो सकती है।
3. बैठक के दौरान जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करें।
4. बैठक के दौरान संबंधित समस्या का विश्लेषण करें एवं उसके प्रभावों से बैठक में शामिल लोगों को अवगत करावे।

5. बैठक में इस बात पर भी चर्चा करें की उक्त समस्या के समाधान के लिए कौन सा जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्य आवश्यक होगा।
6. समाधान हेतु प्रस्तावित जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्य के आधार पर यह प्रारंभिक आकलन कर लिया जाये कि इसके निष्पादन से किन किन ग्रामीणों को लाभ प्राप्त होगा। लाभ लेने वाले संभावित ग्रामीणों को संबंधित जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्य के तदर्थ उपयोगकर्ता समूह के रूप में गठित किया जाये।
7. नेट प्लानिंग और तकनीकी व वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पर चयनित किये जाने वाले जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों का अंतिम रूप से निर्धारण होने, चयनित कार्यों की ड्राइंग डिजाईन व प्राक्कलन आदि निर्धारित हो जाने पर इससे संबंधित तदर्थ उपयोगकर्ता समूह का पुनः विश्लेषण किया जाये कि उसके कौन – कौन से सदस्य चयनित कार्य से अथवा इससे विकसित/जनित होने वाले संसाधन से वास्तव में लाभ प्राप्त करेंगे। इस विश्लेषण के आधार पर प्रत्येक कार्य से अथवा इससे विकसित/जनित होने वाले संसाधन से लाभ लेने वाले वास्तविक ग्रामीणों की स्पष्ट पहचान कर इन्हें सगठित कर प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्य हेतु उपयोगकर्ता समूह के गठन को अंतिम रूप दिया जाये।
8. गठित समूहों को कार्य की लागत एवं उपयोगकर्ता प्रभार, योगदान/अशंदान राशि/श्रमदान, दायित्व के बारे में अवगत करावे एवं समझाईश दे तथा अभिप्रेरित करें।
9. सर्वसम्मति/प्रजातांत्रिक तरीके से उपयोगकर्ता दल के प्रतिनिधि का चयन किया जाये। (प्रतिनिधि के चयन के समय डब्ल्यू.डी.टी. का 1 सदस्य अनिवार्यतः उपस्थित रहे)

अनुलग्नक – 2

वाटरशेड समिति और उपयोगकर्ता समूह के मध्य किये जाने वाले समझौता अनुबंध का प्रारूप

1/ जिला ..... के विकासखण्ड ..... के माइक्रोवाटरशेड कोड नंबर ....., नाम ..... के राजस्व ग्राम ....., ग्राम पंचायत ..... में भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग के ज्ञापन क्र....., दिनांक ..... द्वारा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना : IWMP - ..... के भूमि आधारित कार्यकलापों के कार्यान्वयन के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है :–

1. जल संरक्षण व संवर्धन
2. मिट्टी में नमी संरक्षण के कार्य
3. मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण
4. कृषि उत्पादन प्रणालियों का संवर्धन/विकास
5. वृक्षारोपण/उद्यानिकी विकास/कृषि वानिकी/कृषि उद्यानिकी/.....
6. घास उत्पादन
7. .....

2/ कंडिका – 1 में वर्णित उद्देश्यों में से ..... उद्देश्य की पूर्ति तथा तत्संबंध में अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति हेतु आगे कंडिका – 2 में उल्लेखित कार्यकलाप की आयोजना, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण व अनुश्रवण हेतु आवश्यक नियोजन तथा सृजित संरचनाओं/परिसम्पत्तियों के रखरखाव/प्रचालन/अनुरक्षण और जनित संसाधनों, उत्पादों व लाभों के विपणन/वितरण के लिए आज दिनांक ....., माह ....., वर्ष ..... को ..... (जिला) में यह समझौता अनुबंध निम्नानुसार वर्णित पक्षों (जो अभिव्यक्ति उसके स्वयं अथवा उसके प्राधिकारी अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि से अर्थ रखेगी और समाहित करेगी) के बीच निष्पादित किया जाता है :–

प्रथम पक्ष	**द्वितीय पक्ष**
वाटरशेड समिति के प्रतिनिधि :– वाटरशेड समिति के अध्यक्ष का विवरण : नाम ..... पति/पत्नी/पुत्र ..... निवास	**उपयोगकर्ता समूह के सभी निम्नानुसार सदस्य :–** (सदस्यों के नाम अंकित करें) 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. .... **उक्त समूह के प्रतिनिधि का विवरण :** नाम ..... पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री ..... निवास ....

3. उपयोगकर्ता समूह के लिए चयनित कार्यकलाप का विवरण

3.1 कार्य का नाम .....

3.2 कार्य के कार्यान्वयन का प्रस्तावित स्थल (खसरा नं.) .....

3.3 कार्य का कार्यान्वयन जिस भूमि पर हो रहा है, उसका स्वामित्व (निजी / शासकीय / सामुदायिक) .....

3.4 कार्य की मात्रा, लागत व योगदान राशि :–

मात्रा	मात्रा की इकाई (संख्या / घनमीटर / रनिंग मीटर / हेक्टेयर / अन्य)	इकाई लागत (रूपये में)	कुल लागत (रूपये में)	समूह द्वारा दी जाने वाली योगदान राशि (रूपये में)

4. कार्य के कार्यान्वयन के फलस्वरूप सृजित संरचना / परिसम्पत्ति से जनित / विकसित होने वाले संसाधन / उत्पाद / लाभ की आयोजना (Outcome Plan) (उदाहरणस्वरूप चयनित तालाब से कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी एवं इसके फलस्वरूप खरीफ एवं रबी के उत्पादन में क्या परिवर्तन होगा व इससे कितना आर्थिक लाभ होगा)

.....

.....

.....

.....

5. प्रथम पक्ष यह वादा करता है कि कंडिका – 2 में उल्लेखित कार्यकलाप के संदर्भ में :–

5.1 वह द्वितीय पक्ष के सदस्यों को कार्यकलाप की परिमाप, स्वीकृत लागत, योगदान, उपयोगकर्ता प्रभार आदि संपूर्ण जानकारी देगा।

5.2 वह पी.आई.ए. व डब्ल्यू.डी.टी. के तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में चयनित स्थल पर निर्धारित तकनीकी मानदण्डों के अनुसार कार्यकलाप का गुणवतापूर्ण कार्यान्वयन समय सीमा में पूर्ण करायेगा। इस हेतु आवश्यक सामग्री की व्यवस्था तथा सभी भुगतान समय पर करेगा। कार्यकलाप के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण, निगरानी और अनुश्रवण करेगा। कार्यकलाप की भौतिक और वित्तीय प्रगति तथा परिणामों का अंकेक्षण करेगा और संधारित करेगा। कार्यकलाप के फलस्वरूप सृजित संरचनाओं / परिसम्पत्तियों का रिकार्ड संधारित करेगा और संबंधित जानकारी राजस्व अभिलेखों में दर्ज करायेगा।

5.3 द्वितीय पक्ष को सौंपे गये दायित्वों के निष्पादन में पी.आई.ए. और डब्ल्यू.डी.टी. के सहयोग से आवश्यक समन्वय और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

5.4 यह सुनिश्चित करेगा कि द्वितीय पक्ष द्वारा महिलाओं के हितों को पर्याप्त रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

5.5 द्वितीय पक्ष से वाटरशेड विकास निधि हेतु उपयोगकर्ता प्रभार तथा योगदान एकत्रित करेगा।

5.6 द्वितीय पक्ष के कार्यकलाप के संबंध में समस्त परियोजना दस्तावेजों, लेखों, अभिलेखों, रिकार्ड व रजिस्टर में नियमित इंद्राज करेगा।

5.7 कार्यकलाप से सृजित संरचनाओं/परिसम्पत्तियों के उपयोग, रख रखाव व इनसे जनित संसाधनों, उत्पादों व लाभों के विपणन, उपयोग तथा वितरण की उपयुक्त प्रणालियां और व्यवस्थाएं द्वितीय पक्ष से करायेगा और इसमें पी.आई.ए. और डब्ल्यू.डी.टी. तथा ग्राम पंचायत का सहयोग प्राप्त करेगा।

5.8 द्वितीय पक्ष अथवा उसके लिए चयनित कार्यकलाप से संबंधित विभिन्न विवादों का समाधान करायेगा, ताकि परियोजना के कार्य प्रभावित न हो।

5.9 सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थिति में सभी ग्रामीणों के हित में वह शासकीय/सामुदायिक भूमि पर सृजित संरचना/परिसम्पत्ति के लिए गठित समूहों को इनसे लाभ प्राप्त करने के अधिकारों पर रोक लगा सकेगा।

6. द्वितीय पक्ष यह वादा करता है कि कंडिका – 2 में उल्लेखित कार्यकलाप के संदर्भ में :–

6.1 समूह प्रचालन के नियम निर्धारित करेगा।

6.2 समूह की नियमित बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित करेगा। इन बैठकों में कार्य के कार्यान्वयन की स्थिति, गुणवत्ता, सृजित संरचना/परिसम्पत्ति के रख रखाव और जनित संसाधनों, उत्पादों व लाभों का विपणन, वितरण, उपयोग आदि पर विचार विमर्श करेगा और अनुवर्ती कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्णय लेगा।

6.3 समूह को क्रियाशील रखते हुए इसका संचालन करेगा और विवादों का निपटारा करेगा। प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के कार्यों में सदैव भाग लेगा।

6.4 कार्यकलाप के गुणवत्तापूर्ण व तकनीकी मानदण्डों के अनुरूप परिणाममूलक तथा पारदर्शी कार्यान्वयन हेतु सतत् देखरेख तथा निगरानी करेगा।

6.5 सृजित संरचना/परिसम्पत्ति का रख रखाव, प्रचालन तथा अनुरक्षण करेगा। जरूरत होने पर आवश्यक धनराशि सदस्यों से एकत्रित करने की व्यवस्था करेगा। निजी भूमि पर निष्पादित कार्यों से सृजित संरचना/परिसम्पत्ति का रख रखाव स्वयं के वित्तीय संसाधनों से करेगा।

6.6 जनित संसाधनों, उत्पादों व लाभों का विपणन अथवा समानता की प्रक्रियाओं को अपनाकर समूह के सभी सदस्यों के बीच समुचित उपयोग और वितरण सुनिश्चित करेगा।

6.7 कृषि उत्पादन प्रणालियों के संवर्धन के कार्यों को अपनायेगा।

6.8 निर्धारित मानदण्डों के अनुसार वाटरशेड विकास निधि हेतु उपयोगकर्ता प्रभार तथा कंडिका – 3.4 में उल्लेखित योगदान/अंशदान राशि नगद जमा करायेगा अथवा स्वैच्छिक श्रमदान करेगा।

6.9 प्रथम पक्ष के सहयोग से आवश्यक अभिलेख संधारित करेगा।

6.10 वह प्रथम पक्ष या पी.आई.ए. व डब्ल्यू.डी.टी. या उनके प्रतिनिधियों को कार्यकलाप के संबंध में सभी अभिलेखों, निष्पादित कार्य से जनित संसाधनों, उत्पादों व लाभों के विपणन, उपयोग और वितरण के निरीक्षण करने की सदैव इजाजत देगा और ऐसे निरीक्षण के बाद जो अनुशंसायें दी जायेंगी या जो अवलोकन किये जायेंगे या यदि कोई विवाद है तो उसका जो समाधान सुझाया जायेगा, वह उनका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

7. हस्ताक्षर

प्रथम पक्ष – अध्यक्ष, वाटरशेड समिति	**द्वितीय पक्ष, उपयोगकर्ता समूह का प्रतिनिधि**
हस्ताक्षर –	**हस्ताक्षर –**
नाम –	**नाम –**
दिनांक –	**दिनांक –**

8. अभिप्रमाण

यह अभिप्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दोनों पक्षों के बीच मेरी उपस्थिति में उक्त समझौता अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया है व अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के पालन व दायित्वों के निर्वहन के संबंध में दोनों पक्ष सहमत हैं।

(पी.आई.ए. और डब्ल्यू.डी.टी. के सदस्य के हस्ताक्षर)

नाम –

पदनाम –

मूल विभाग का नाम –

दिनांक –

अनुलग्नक – 3

स्वसहायता समूहों के गठन के मार्गदर्शी सिद्धांत व प्रक्रिया

गठन के सिद्धांत :–

1. गरीब ग्रामीणों, खेतीहर मजदूरों, भूमिहीन/संसाधनहीन/सम्पत्तिहीन ग्रामीणों/महिलाओं, लघु एवं सीमांत कृषकों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर इनके स्वसहायता समूह गठित कराये जाना चाहिए।
2. समूह के सदस्यों में आपसी सामंजस्य, अभिरूचि, आर्थिक स्तर तथा चयनित कार्य की समानता होना चाहिए।
3. यदि किसी परिवार का कोई सदस्य पूर्व से गठित और क्रियाशील तथा आय अर्जित करने वाले स्वसहायता समूह का सदस्य है तो उसे नये स्वसहायता समूह के गठन में प्रथम प्राथमिकता नहीं दी जाना चाहिए। पहले उन लक्षित व्यक्तियों के समूह गठित किये जायें, जो किसी स्वसहायता समूह के सदस्य नहीं हैं।
4. परियोजना के लक्षित परिवार का केवल एक ही सदस्य एक स्वसहायता समूह का सदस्य होना चाहिए, ताकि अन्य परिवारों को भी अवसर उपलब्ध हो सके। यदि परिवार के अन्य सदस्य आजीविका उन्न्यन के अन्य कार्यकलाप संचालित करते हैं तो वे अन्य स्वसहायता समूह के सदस्य हो सकते हैं।
5. गठित होने वाले समूह के सदस्यों को उनके दायित्वों और कार्यकलापों, परिक्रामी निधि व इसकी वापसी इत्यादि के संबंध में समूह गठन के पूर्व अवगत कराया जाये, जिससे वे वास्तविक संभावनाओं और विश्वास के साथ परियोजना में सहभागी बन सकें।

गठन की प्रक्रिया :–

1. स्वंय सहायता समूह का निर्माण करने के पूर्व ग्रामीण समुदाय का आकलन किया जाना आवश्यक है, जो नेट प्लानिंग/पी.आर.ए. के दौरान हो सकता है। इसमें मुख्य रूप से **ग्राम भ्रमण, हाउस होल्ड सर्वे, सामाजिक मानचित्रण, एवं आर्थिक श्रेणीकरण करें।**
2. गाँवों में जाकर गरीब लोगों से सम्पर्क करें तथा गाँव की समस्याओं तथा वहाँ के समाज में चल रही अवांछित प्रथाओं की जानकारी के लिए अधिकाधिक लोगों से मिलें। अधिकांश लक्षित ग्रामीणों/महिलाओं की सुविधा देखकर उनसे बैठक की तिथि तथा स्थान तय कर लें, बैठक में स्थानीय बुर्जुगों को भी शामिल करें।
3. पहली एक, दो या तीन बैठकों में ग्रामीण वर्ग की महत्वपूर्ण समस्याओं विशेषकर महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करें। ये समस्याएं आर्थिक या सामाजिक कोई भी हो सकती है। गरीब परिवारों के

आय तथा व्यय के तौर तरीकों का भी पता लगाएं बचत के महत्व तथा समूह आदि के महत्व एवं लाभ के बारे में बड़ी सूझबूझ से उन्हें बताएं।

4. लिये जा सकने वाले आयमूलक कार्यों /आजीविका उन्नयन के बारें में चर्चा करें। यह भी चर्चा करें कि उनके क्षेत्र में ग्रामीणों के लिए सरकार द्वारा कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की जानकारी संबंधित सरकारी विभागों, विशेषकर विकास विभाग से प्राप्त की जा सकती है।
5. उक्त प्रक्रियाओं के आधार पर प्राथमिकता के क्रम में समूह में शामिल किये जा सकने वाली महिलाओं, खेतीहर मजदूर, भूमिहीन, लघु व सीमान्त कृषक, विभिन्न समान आय वर्गो वाले ग्रामीण एवं समान प्रकार के कार्य करने वाले ग्रामीणों का अन्तिम चिन्हांकन कर लिया जावे।
6. ग्रामीण जन जो प्रांरभिक चर्चा में शामिल हुए हैं एवं स्वसहायता समूह की अवधारणा से अन्ततः सहमत हुए हैं तथा किसी वाह्य वित्तीय सहयोग के बिना कम से कम छः माह से एक वर्ष तक बचत कर समूह के संचालन हेतु भी सहमत हैं उनका उपयुक्ता के आधार पर समूह गठित किया जावे।
7. प्रत्येक गठित समूह को सर्वसम्मति से कोई नाम दिया जावे जिससे उनकी पहचान हो सके। नामकरण के साथ जलग्रहण शब्द को अनिवार्यतः संलग्न करें। **उदाहरण यदि किसी समूह का नाम कमल है तो उसका पूरा नाम कमल जलग्रहण स्वसहायता समूह होगा।** इस प्रकार के नामकरण से समूह में परियोजना के प्रति अपनत्व की भावना का विकास होना।
8. प्रत्येक गठित स्वंय सहायता समूह द्वारा सर्व सम्मति से समूह के प्रतिनिधि का चयन किया जावेगा।
9. प्रत्येक गठित स्वसहायता समूह का ग्राम के पास के किसी राष्ट्रीकृत सहकारी बैंक में खाता खोला जावे, खाते खुलने के बाद ही समूह के गठन को पूर्ण माना जावेगा।

अनुलग्नक – 4

वाटरशेड समिति और स्वसहायता समूह के मध्य किये जाने वाले समझौता अनुबंध का प्रारूप

1/ जिला ..... के विकासखण्ड ..... के माइक्रोवाटरशेड कोड नंबर ....., नाम ..... के राजस्व ग्राम ....., ग्राम पंचायत ..... में भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग के ज्ञापन क्र....., दिनांक ..... द्वारा एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना : IWMP - ..... के आजीविका आधारित कार्यकलापों के कार्यान्वयन का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय ग्रामीणों की आजीविका का उन्नयन/विकास तथा उन्हें टिकाऊ आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है।

2/ कंडिका – 1 में वर्णित उद्देश्य की पूर्ति तथा तत्संबंध में अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति हेतु आगे कंडिका – 2 में उल्लेखित कार्यकलाप की आयोजना, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण व अनुश्रवण हेतु आवश्यक नियोजन तथा सृजित संरचनाओं/परिसम्पत्तियों के रखरखाव/प्रचालन/अनुरक्षण और जनित संसाधनों, उत्पादों व लाभों के विपणन/वितरण के लिए आज दिनांक ....., माह ....., वर्ष ..... को . ..... (जिला) में यह समझौता अनुबंध निम्नानुसार वर्णित पक्षों (जो अभिव्यक्ति उसके स्वयं अथवा उसके प्राधिकारी अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि से अर्थ रखेगी और समाहित करेगी) के बीच निष्पादित किया जाता है :–

प्रथम पक्ष	**द्वितीय पक्ष**
वाटरशेड समिति के प्रतिनिधि :– वाटरशेड समिति के अध्यक्ष का विवरण : नाम ..... पति/पत्नी/पुत्र ..... निवास	**स्वसहायता समूह के सभी निम्नानुसार सदस्य :–** (सदस्यों के नाम अंकित करें) 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. .... **उक्त समूह के प्रतिनिधि का विवरण :** नाम ..... पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री ..... निवास ....

3. स्वसहायता समूह के लिए चयनित कार्यकलाप का विवरण

3.1 कार्य का नाम .....

3.2 कार्य के कार्यान्वयन की प्रस्तावित शासकीय/सामुदायिक भूमि का खसरा नं. (केवल तब जब चयनित कार्य भूमि आधारित है) .....

3.3 कार्य की मात्रा तथा लागत राशि :–

मात्रा	मात्रा की इकाई (संख्या/घनमीटर/रनिंग मीटर/हेक्टेयर/अन्य कोई)	इकाई लागत (रूपये में)	कुल लागत (रूपये में)

4. कार्य के कार्यान्वयन के फलस्वरूप सृजित संरचना/परिसम्पत्ति से जनित/विकसित होने वाले संसाधन/उत्पाद/लाभ की आयोजना (Outcome Plan) (उदाहरणस्वरूप यदि चयनित कार्यकलाप मछली पालन है तो इसके कार्यान्वयन के फलस्वरूप कितना उत्पादन होगा व इससे कितना आर्थिक लाभ होगा)

.....

.....

.....

.....

5. प्रथम पक्ष यह वादा करता है कि कंडिका – 2 में उल्लेखित कार्यकलाप के संदर्भ में :–

5.1 वह द्वितीय पक्ष के सदस्यों को उनके दायित्वों और कार्यकलाप की आयोजना संबंधी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा।

5.2 वह द्वितीय पक्ष को निर्धारित मानदण्ड अनुसार कार्यकलाप के कार्यान्वयन हेतु परियोजना निधि से परिक्रामी निधि निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायेगा। तत्संबंध में परियोजना दस्तावेज, लेखों, अभिलेखों, रिकार्ड व रजिस्टर में नियमित इंद्राज करेगा। कार्यकलाप के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण, निगरानी और अनुश्रवण करेगा। कार्यकलाप की भौतिक और वित्तीय प्रगति तथा परिणामों का अंकेक्षण करेगा और संधारित करेगा। कार्यकलाप के फलस्वरूप सृजित संरचनाओं/परिसम्पत्तियों का रिकार्ड संधारित करेगा। आवश्यकतानुसार संबंधित जानकारी राजस्व अभिलेखों में दर्ज करायेगा।

5.3 द्वितीय पक्ष को सौंपे गये दायित्वों के निष्पादन में पी.आई.ए. और डब्ल्यू.डी.टी. के सहयोग से आवश्यक समन्वय और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

5.4 पी.आई.ए. और डब्ल्यू.डी.टी. के सहयोग से द्वितीय पक्ष के कार्यकलाप हेतु बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड संयोजन की व्यवस्था करेगा।

5.5 द्वितीय पक्ष को सौंपे गये दायित्वों के निष्पादन में पी.आई.ए. और डब्ल्यू.डी.टी. के सहयोग से आवश्यक समन्वय और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

5.6 यह सुनिश्चित करेगा कि द्वितीय पक्ष द्वारा महिलाओं के हितों को पर्याप्त रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

5.7 कार्यकलाप से सृजित संरचनाओं/परिसम्पत्तियों के उपयोग, रख रखाव व इनसे जनित संसाधनों, उत्पादों व लाभों के विपणन, उपयोग तथा वितरण की उपयुक्त प्रणालियां और व्यवस्थाएं द्वितीय पक्ष से करायेगा और इसमें पी.आई.ए. और डब्ल्यू.डी.टी. तथा ग्राम पंचायत का सहयोग प्राप्त करेगा।

5.8 द्वितीय पक्ष से परिक्रामी निधि की नियमित वापसी/अदायगी सुनिश्चित करायेगा।

5.9 द्वितीय पक्ष अथवा उसके लिए चयनित कार्यकलाप से संबंधित विभिन्न विवादों का समाधान करायेगा, ताकि परियोजना के कार्य प्रभावित न हो।

5.10 सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थिति में सभी ग्रामीणों के हित में वह शासकीय/सामुदायिक भूमि पर सृजित संरचना/परिसम्पत्ति के लिए गठित समूहों को इनसे लाभ प्राप्त करने के अधिकारों पर रोक लगा सकेगा।

6. द्वितीय पक्ष यह वादा करता है कि कंडिका – 2 में उल्लेखित कार्यकलाप के संदर्भ में :–

6.1 समूह प्रचालन के नियम निर्धारित करेगा।

6.2 समूह की नियमित बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित करेगा। इन बैठकों में कार्य के कार्यान्वयन की स्थिति, गुणवत्ता, सृजित संरचना/परिसम्पत्ति के रख रखाव और जनित संसाधनों, उत्पादों व लाभों का विपणन, वितरण, उपयोग आदि पर विचार विमर्श करेगा और अनुवर्ती कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्णय लेगा।

6.3 समूह को क्रियाशील रखते हुए इसका संचालन करेगा और विवादों का निपटारा करेगा। प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के कार्यों में सदैव भाग लेगा।

6.4 समूह के सदस्यों के बीच नियमित बचत तथा आंतरिक ऋण प्रदाय एव अदायगी की प्रक्रिया व नियम विकसित कर इसका प्रचालन करेगा।

6.5 प्रथम पक्ष और पी.आई.ए. व डब्ल्यू.डी.टी. के मार्गदर्शन तथा सहयोग से कार्यकलाप का गुणवत्तापूर्ण व तकनीकी मानदण्डों के अनुरूप परिणाममूलक और पारदर्शी कार्यान्वयन, प्रबंधन, पर्यवेक्षण, निगरानी तथा अनुश्रवण करेगा। इन सभी कार्यों में समूह के सदस्यों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेगा। कार्यकलाप की भौतिक व वित्तीय प्रगति की जानकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायेगा।

6.6 प्रथम पक्ष से प्राप्त होने वाली परिक्रामी निधि, सदस्यों को दिये गये ऋण व इसकी अदायगी तथा अर्जित आय आदि के संधारण हेतु बैंक खाता खोलेगा और कार्यकलाप का नियमानुकूल वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करेगा।

6.7 सृजित संरचना/परिसम्पत्ति का रख रखाव, प्रचालन तथा अनुरक्षण करेगा। जरूरत होने पर आवश्यक धनराशि सदस्यों से एकत्रित करने की व्यवस्था करेगा।

6.8 जनित संसाधनों, उत्पादों व लाभों का विपणन अथवा समानता की प्रक्रियाओं को अपनाकर समूह के सभी सदस्यों के बीच समुचित उपयोग और वितरण सुनिश्चित करेगा।

6.9 अर्जित आय से परिक्रामी निधि की वापसी एवं अदायगी प्रथम पक्ष को निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करेगा।

6.10 प्रथम पक्ष के सहयोग से समस्त आवश्यक अभिलेख, लेखा, रिकार्ड व रजिस्टर संधारित करेगा। नियमित लेखा अंकेक्षण करायेगा।

6.11 वह प्रथम पक्ष या पी.आई.ए. व डब्ल्यू.डी.टी. या उनके प्रतिनिधियों को कार्यकलाप के संबंध में सभी अभिलेखों, निष्पादित कार्य से जनित संसाधनों, उत्पादों व लाभों के विपणन, उपयोग और वितरण के निरीक्षण करने की सदैव इजाजत देगा और ऐसे निरीक्षण के बाद जो अनुशंसायें दी जायेंगी या जो अवलोकन किये जायेंगे या यदि कोई विवाद है तो उसका जो समाधान सुझाया जायेगा, वह उनका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

7. हस्ताक्षर

प्रथम पक्ष – अध्यक्ष, वाटरशेड समिति

हस्ताक्षर –

नाम –

दिनांक –

द्वितीय पक्ष, स्वसहायता समूह का प्रतिनिधि

हस्ताक्षर –

नाम –

दिनांक –

8. अभिप्रमाण

यह अभिप्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दोनों पक्षों के बीच मेरी उपस्थिति में उक्त समझौता अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया है व अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के पालन व दायित्वों के निर्वहन के संबंध में दोनों पक्ष सहमत हैं।

(पी.आई.ए. और डब्ल्यू.डी.टी. के सदस्य के हस्ताक्षर)

नाम –

पदनाम –

मूल विभाग का नाम –

दिनांक –

अनुलग्नक – 5

वाटरशेड समिति के गठन के मार्गदर्शी सिद्धांत व प्रक्रिया

1. **वाटरशेड समिति का गठन केवल चुनिन्दा ग्रामीणों की बैठक बुलाकर अथवा ग्राम सभा में सशक्त लोगों को नामांकित कर कतई नहीं किया जाये।**

2. समिति के गठन के पूर्व उपयोगकर्ता समूहों व स्वसहायता समूहों का गठन अथवा इनका स्वरूप तय हो जाना चाहिए, ताकि इन समूहों के एक – एक प्रतिनिधि को वाटरशेड समिति में शामिल किया जा सके।

3. वाटरशेड समिति में प्रत्येक उपयोगकर्ता समूह तथा स्वसहायता समूह का एक–एक प्रतिनिधि अनिवार्यतः शामिल करना चाहिये।

4. वाटरशेड समिति के गठन के समय समिति के दायित्वों के संबंध में अवगत कराना चाहिये, ताकि वे परियोजना कार्यान्वयन में पूर्ण मानसिकता के साथ सहभागी हो सकें।

गठन की प्रक्रिया :–

1. मुनादी पिटवाकर अथवा अन्य प्रचार–प्रसार माध्यम के द्वारा ग्राम सभा आहुत किये जाने की जानकारी (तिथि व स्थान) ग्रामीणों को दी जाये।

2. निर्धारित तिथि पर ग्राम सभा आहुत की जाये, जिसमें सभी उपयोगकर्ता समूहों एवं स्वसहायता समूहों के सदस्य अनिवार्यतः शामिल होगें।

3. उपयोगकर्ता समूहों एवं स्वसहायता समूहों के सदस्य वाटरशेड समिति के गठन हेतु अपने अपने प्रतिनिधियों के नाम ग्राम सभा में रखेंगे।

4. उक्त प्रतिनिधियों को शामिल कर ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से वाटरशेड समिति का गठन किया जावेगा।

5. वाटरशेड समिति के गठन के दौरान डब्ल्यू.डी.टी. के सभी सदस्य एवं टीम लीडर अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे व यह सुनिश्चित करेंगे कि वाटरशेड समिति में वास्तविक उपयोगकर्ता समूहों एवं स्वसहायता समूहों के चयनित प्रतिनिधियों को ही शामिल किया जाये। डब्ल्यू.डी.टी. वाटरशेड समिति के गठन की प्रक्रिया की विडियोग्राफी भी करायेगी और इसे अपने रिकार्ड में रखेगी।

विषयः एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम में स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत माइक्रोवाटरशेड स्तर पर ग्रामीणों की सहभागिता और सामुदायिक संगठन आधारित संस्थागत व्यवस्था के संबंध में।

भारत सरकार द्वारा वाटरशेड कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2008 में जारी मार्गदर्शी सिद्धांत **(पताका–अ–27/सी)** के पैरा – 2.11. IV **(पताका–ब–41/सी)** में उल्लेख किया है कि वाटरशेड परियोजनाओं की आयोजना, बजटिंग, कार्यान्वयन एवं प्रबंधन में ग्रामीणों की केन्द्रीय भूमिका होगी। इस प्रकार वाटरशेड परियोजनाओं की कार्यनीति ग्रामीणों की सहभागिता पर आधारित है। इस परिप्रेक्ष्य में मार्गदर्शी सिद्धांत के ही पैरा – 6 **(पताका – स – 58/सी)** में ग्राम स्तर पर विभिन्न सामुदायिक संगठनों नामतः स्वसहायता समूह, उपयोगकर्ता समूह तथा वाटरशेड समिति के गठन के स्वरूप का उल्लेख किया गया है तथा दायित्वों का भी संक्षिप्त उल्लेख है। पैरा–6.4 में वाटरशेड समिति के सचिव का भी प्रावधान है, जो वाटरशेड समिति का मानदेय भोगी कार्यकर्ता होगा तथा निर्धारित योग्यता व अनुभव के आधार पर ग्राम सभा द्वारा चयनित किया जायेगा।

2/ उक्त के अनुक्रम में प्रस्तावित है कि जिलों को एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम में स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत माइक्रोवाटरशेड स्तर पर ग्रामीणों की सहभागिता और सामुदायिक संगठन आधारित संस्थागत व्यवस्था के संदर्भ में निम्नानुसार प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश जारी किये जायें :–

i) उपयोगकर्ता समूह, स्वसहायता समूह तथा वाटरशेड समिति का स्वरूप
ii) उपयोगकर्ता समूह, स्वसहायता समूह तथा वाटरशेड समिति के गठन की प्रक्रिया। वाटरशेड समिति के गठन हेतु भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों में केवल 10 लोंगों को शामिल किये जाने का मार्गदर्शी प्रावधान है। वाटरशेड समिति में गरीबों और लघु तथा सीमांत कृषकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्तावित है कि समिति का गठन प्रत्येक उपयोगकर्ता समूह और स्वसहायता समूह के प्रतिनिधि को शामिल कर किया जायेगा।
iii) उपयोगकर्ता समूह, स्वसहायता समूह तथा वाटरशेड समिति के दायित्व।
iv) वाटरशेड समिति के सचिव के संबंध में यह प्रावधान कि – सचिव का चयन समिति के सदस्यों की सहमति से ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा, तदोपरांत संविदा नियुक्ति वाटरशेड समिति के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। वाटशेड समिति के सचिव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होगी। वाटरशेड विकास कार्यों/ग्रामीण विकास कार्यों की आयोजना व कार्यान्वयन/कार्यालयीन प्रबंधन व लेखा संधारण/कम्प्यूटर अनुप्रयोग में 1 से 2 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। वाटरशेड समिति का सचिव सामान्यतः संबंधित अथवा समीपस्थ ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में संबंधित विकासखण्ड के किसी ग्राम का निवासी होना चाहिए। वाटरशेड समिति के सचिव को रू. 3500 प्रतिमाह का मानदेय दिया जायेगा, जो परियोजना के प्रशासनिक मद में विकलनीय होगा। परियोजना के प्रशासनिक मद से वाटरशेड समिति के सचिव का मानदेय केवल परियोजना अवधि के दौरान अथवा परियोजना समाप्ति तक जो भी पहले हो, दिया जा सकेगा।

विषयः एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम में स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत माइक्रोवाटरशेड स्तर पर ग्रामीणों की सहभागिता और सामुदायिक संगठन आधारित संस्थागत व्यवस्था के संबंध में।

परियोजना अवधि समाप्त होने अथवा परियोजना समाप्ति के पश्चात वाटरशेड समिति के सचिव की निरन्तरता का निर्णय वाटरशेड समिति द्वारा लिया जा सकेगा, परन्तु ऐसी स्थिति में उसके मानदेय के लिए शासन द्वारा कोई राशि प्रदाय नहीं की जायेगी।

v) उपयोगकर्ता समूहों और स्वसहायता समूहों के साथ वाटरशेड समिति द्वारा किये जाने वाले अनुबंध, ताकि इन सामुदायिक संगठनों की भूमिका स्पष्ट रहे और सृजित परिसम्पत्तियों का रख रखाव तथा लाभों के वितरण की प्रणालियां स्थापित हो सकें।

3/ उक्त पैरा – 2 के परिप्रेक्ष्य में जारी किये जाने वाले दिशा निर्देश का प्रारूप **पताका–द** पर सादर अनुमोदन व हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है।

(विवेक दवे)
उपायुक्त

संचालक

विषयः एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम में स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत माइक्रोवाटरशेड स्तर पर ग्रामीणों की सहभागिता और सामुदायिक संगठन आधारित संस्थागत व्यवस्था के संबंध में।

विषयः एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम में स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत माइक्रोवाटरशेड स्तर पर ग्रामीणों की सहभागिता और सामुदायिक संगठन आधारित संस्थागत व्यवस्था के संबंध में।

विषयः एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम में स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत माइक्रोवाटरशेड स्तर पर ग्रामीणों की सहभागिता और सामुदायिक संगठन आधारित संस्थागत व्यवस्था के संबंध में।

विषयांतर्गत जारी किये जाने वाले आदेश प्रारूप पर संचालक महोदय द्वारा विचार विमर्श किया गया। तदोपरांत प्रारूप आदेश में निम्नानुसार संशोधन किये गये हैं :–

1. उपयोगकर्ता समूहों और स्वसहायता समूहों के प्रतिनिधियों का चयन डब्ल्यू.डी.टी. सदस्य की उपस्थिति में करने का उल्लेख क्रमशः कंडिका 2.1.7 एवं 3.1.6 में कर दिया गया है।
2. उपयोगकर्ता समूहों के गठन की प्रक्रिया के संबंध में अनुलग्नक – 1 में यह प्रावधान कर दिया गया है कि पी.आर.ए. के दौरान तदर्थ समूह गठित किये जायेंगे, जिन्हें गतिविधि की विस्तृत कार्य योजना बनाये जाने पर अंतिम रूप दिया जायेगा।
3. उपयोगकर्ता समूहों के गठन के सिद्धांत में अनुलग्नक – 1 में यह प्रावधान भी कर दिया गया है कि एक ही प्रकार की गतिविधि के लिए 1 से अधिक समूह भी गठित हो सकते हैं।
4. उपयोगकर्ता समूहों और स्वसहायता समूहों के साथ किये जाने वाले समझौता अनुबंध में Investment based outcome planning का समावेश क्रमशः अनुलग्नक–2 व 4 की कंडिका 3 और 4 में कर दिया गया है।
5. वाटरशेड समिति का गठन डब्ल्यू.डी.टी. की उपस्थिति में किये जाने और समिति के गठन की विडियोग्राफी कराये जाने का उल्लेख अनुलग्नक – 5 में कर दिया गया है।